

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2021

सं. 58/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 907(अ).—केंद्र सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 2 फ़रवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 114 (अ), दिनांक 2 फ़रवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2) में -

- (i) अंक "5703 20" के स्थान पर अंक "5703 21, 5703 29" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) अंक "5703 30" के स्थान पर अंक "5703 31, 5703 39" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (iii) अंक "5802 19" के स्थान पर अंक "5802 10 20, 5802 10 30, 5802 10 40, 5802 10 50, 5802 10 60, 5802 10 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (iv) अंक "6201 11 00, 6201 12, 6201 13, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00" के स्थान पर अंक "6201 20, 6201 30, 6201 40" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (v) अंक "6202 11, 6202 12 00, 6202 13 00, 6202 91, 6202 92, 6202 93" के स्थान पर अंक "6202 20, 6202 30, 6202 40" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/286/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 2 फ़रवरी, 2018 को सा.का.नि. 114 (अ), दिनांक 2 फ़रवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 1 फ़रवरी, 2021 जिसे सा.का.नि. 72(अ), दिनांक 1 फ़रवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2021

No. 58/2021-Customs

G.S.R 907(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 110 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 114(E), dated the 2nd February, 2018, namely :-

In the said notification, in the TABLE, against the serial number 1, in column (2), -

- (i) for the figures "5703 20", the figures "5703 21, 5703 29" shall be substituted;
- (ii) for the figures "5703 30", the figures "5703 31, 5703 39" shall be substituted;
- (iii) for the figures "5802 19", the figures "5802 10 20, 5802 10 30, 5802 10 40, 5802 10 50, 5802 10 60, 5802 10 90" shall be substituted;

- (iv) for the figures “6201 11 00, 6201 12, 6201 13, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00”, the figures “6201 20, 6201 30, 6201 40” shall be substituted;
- (v) for the figures “6202 11, 6202 12 00, 6202 13 00, 6202 91, 6202 92, 6202 93”, the figures “6202 20, 6202 30, 6202 40” shall be substituted.

3. This notification shall come into effect on the 1st day of January, 2022.

[F. No. 190354/286/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No.11/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 114(E), dated the 2nd February, 2018 and was last amended, *vide* notification No. 14/2021 -Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R.72 (E), dated the 1st February, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2021

सं. 59/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 908(अ).—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 53/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 788 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2709 00 10” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/286/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 53/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 788 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 40/2019-सीमाशुल्क, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019, जिसे सा.का.नि. 968(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2021

No. 59/2021-Customs

G.S.R. 908(E).—In exercise of the powers conferred sub-section (5) of section 3 of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 53/2017- Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 788(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table,

(i) against serial number 1, for the entry in column (2), the entry “2709 00 10”, shall be substituted.

2. This notification shall come into force from the 1st day of January, 2022.

[F. No. 190354/286/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 53/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 788(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 40/2019-Customs, dated the 30th December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 968(E), dated the 30th December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2021

सं. 78/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 909(अ).—सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1975 के नियम 13, 18 और 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1), (2) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचनाओं को उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 30/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 11 जुलाई, 2016 जिसे सा.का.नि. 675 (अ), दिनांक 11 जुलाई, 2016 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में “2903 39 19” अंकों के स्थान पर, जहां कहीं भी यह आता है, अंक “ 2903 45 00” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2.	अधिसूचना सं. 13/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 11 अप्रैल, 2017 जिसे सा.का.नि. 344 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में “3907 20” अंकों के स्थान पर, जहां कहीं भी यह आता है, अंक “ 3907 29” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3.	अधिसूचना सं. 57/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 जिसे सा.का.नि. 1203(अ), दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में “3824 90 90” अंकों का, जहां कहीं भी यह आता है, लोप किया जाएगा।
4.	अधिसूचना सं. 14/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 09 जून, 2020 जिसे सा.का.नि. 364(अ), दिनांक 09 जून, 2020 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में “3907 20” अंकों के स्थान पर, जहां कहीं भी यह आता है, अंक “ 3907 29” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5.	अधिसूचना सं. 14/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 18 मार्च, 2021 जिसे सा.का.नि. 199(अ), दिनांक 18 मार्च, 2021 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में (i) शब्द “टैरिफ मद” के स्थान पर, जहां कहीं भी यह आता है “हेडिंग” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) “7019 90 10, 7019 90 90, 7019 19 00, 7019 39 00, 7019 59 00” अंकों के स्थान पर,